न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– **मृदुला शेखावत**, (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 180 / 2022

प्रार्थी :–

1. देवाराम पुत्र स्व. मोतीराम जाति भाट निवासी गांव पडासलां खुर्द तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :– प्रार्थी की ओर से श्री बी.एस.सोलंकी अधिवक्ता।
अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ।

निर्णय **दिनांक** :– 27/08/24

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं काश्तकारी की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम पडासला खुर्द पटवार हल्का पडासलां कलां तहसील बिलाडा जिला जोधपुर के खसरा सं. 137 / 1 रकबा 1.4724 हैक्टयर, खसरा नंबर 189 रकबा 1.2135 हैक्टयर, खसरा नंबर 190 रकबा 1.7798 कुल खसरा 03 कुल रकबा 4.4657 हैक्टयर आई हुई है। जिसका प्रार्थी संयुक्त रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थी उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि का सयुंक्त रूप से अपने हिस्से का मालिक एवं काबिज है। प्रार्थी के पिता मोतीराम के देहान्त होने के बाद जरिये विरासत का फौतदगी म्यूटेशन भरा गया, जिसमें प्रार्थी का नाम भूल वश देवाराम के स्थान पर घर में बोलचाल की भाषा में लिखा जाने वाला नाम सुखाराम इन्द्राज कर दिया गया, जबकि प्रार्थी का सही नाम देवाराम तै तथा देवाराम के नाम से ही प्रार्थी का भारत सरकार से जारी आधार कार्ड , वोटर कार्ड, पैनकार्ड, बैक डायरी परिवार राशन कार्ड जिसमें प्रार्थी का नाम देवाराम है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं राजस्व रेकर्ड में सुखाराम के स्थान पर देवाराम पुत्र स्व. मोतीराम संशोधित कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्ती करने का आदेश फरमावे।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी को सम्मन बाद तामिल पेश हुए। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि ग्राम पडासलां खुर्द में आई हुई है। जिसके खसरा नंबर 137 / 1 रकबा 1.4724 हैक्टयर, खसरा नंबर 189 रकबा 1. 2185 हैक्टयर, खसरा नंबर 190 रकबा 1.7798 कुल खसरा 3 रकबा 4.4657 हैक्टयर आई हुई है। जिसमें प्रार्थी अपने हिस्से पर संयुक्त रूप से काबिज है।

प्रार्थी का नाम प्रथम बार राजस्व रेकर्ड में जरिये विरासत नामा. सं. 115 मोती पुत्र भाला के फौत होने पर उनके स्थान पर सुखाराम पुत्र मोतीराम दर्ज हुआ। जो आज दिन तक चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा दावे के साथ सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, राशनकार्ड इत्यादि प्रस्तुत कर अपना नाम सुखाराम के स्थान पर देवाराम होना बताया। पद सं. 4 का जवाब प्रार्थी स्वयं साबित करें। पद सं. 5 कानूनी है। प्रार्थी की ईस्तदुआ है कि उनका नाम सुखाराम के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में देवाराम किया जावें।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पडासलां खुर्द के खसरा नंबर 137/1, 189 व 190 में वादी की संयुक्त खातेदारी के हिस्से में दर्ज नाम सुखाराम पुत्र मोतीराम के स्थान पर देवाराम पुत्र मोतीराम दुरूस्त किये जाने की रिपोर्ट पेश है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरूस्ती का निवेदन किया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यो को दोहराया और दुरूस्ती किये जाने पर सहमति जाहिर की। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में खसरा नंबर 137/1 रकबा 1.4724 हैक्टयर, खसरा नंबर 189 रकबा 1.2185 हैक्टयर, खसरा नंबर 190 रकबा 1.7798 हैक्टयर प्रार्थी का नाम सुखाराम पुत्र मोतीराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जो एक लिपिकीय त्रुटी मालूम पड़ती है। जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पडासला खुर्द के खसरा नंबर 137/1 रकबा 1.4724 हैक्टयर, खसरा नंबर 189 रकबा 1.2185 हैक्टयर, खसरा नंबर 190 रकबा 1.7798 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाकर संयुक्त खातेदार प्रार्थी का नाम सुखाराम पुत्र मोतीराम के स्थान पर देवाराम पुत्र मोतीराम किये जाने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को प्रदान किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 27/8/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा